<u>न्यायालय सुश्री स्वस्ति यादव ,न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ,आरा भोजपुर</u>

<u>Complaint Case No-1674/2022</u>

<u>मंजू देवी बनाम धनजी पासवान एवं अन्य</u>

<u>दिनांक</u>-17.04.2023

कार्यालय द्वारा अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिवादीनी अनुपस्थित है।

अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह विदित होता है कि, प्रस्तुत परिवाद वाद परिवादीनी **मंजू देवी** द्वारा परिवाद-पत्र में नामांकित अभियुक्तगण **1. धनजी पासवान 2. शोभा देवी 3.लिन्टू कुमार 4. छोटे कुमार 5. भूली देवी एवं 6. गुड्डी देवी** के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, आरा के न्यायालय में दिनांक: 13.10.2022 को दाखिल किया गया जो परिवाद वाद संख्या-1674/2022 के रूप में दर्ज हुआ। जिसमें माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा अपराध का संज्ञान लेकर अग्रिम जांच तथा विचारण हेतु दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा-192(1) के तहत अभिलेख को इस न्यायालय को स्थानांतरित गया।

दिनांक: 15.11.2022 से ही वाद परिवादीनी के शपथ पर बयान हेतु नियत है किन्तु परिवादीनी एक भी तिथि पर उपस्थित नहीं हुयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी अपना वाद में अपनी रूचि खो दी है। ऐसे में वाद को आगे जारी रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा-203 के अंतर्गत वाद को ख़ारिज करती है।

कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

स्वस्ति यादव
न्या० दंडा० प्र० श्रेणी